न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः—128 / 2022

सुरेश कुमार राशन डीलर उचित मूल्य दुकान चुडैला, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।
— रेस्पोडेंट

— — —

अपील अं0 धारा पदार्थ (वितरण का नियमन आदेश, 1976) के खण्ड 22(1)(a) में निर्णय दिनांक 29.11.2019 द्वारा जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं में वास्ते प्राधिकार पत्र बहाल करने बाबत।

— — —

उपस्थित : —

1. श्री सुरेन्द्र सिंह भाम्बू, एडवोकेट — अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय पैरोकार — रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः— 22.09.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 29.11.2019 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की ओर से अपील निम्न आधारो पर पेश है कि अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान चुडैला, तहसील मलसीसर का आवंटन कमेटी की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था। राशन वितरण के लिए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 529 / 2019 जारी किया गया था जिसके द्वारा सरकार तथा राशन डीलर अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण करने का करार हुआ था। राशन सामग्री का आंवटन उठाने के लिए व वितरण करने के लिए तथा कारोबार स्थल पर रखने तथा आवंटन क्षेत्र में वितरण उपभोक्ताओ में करने सम्बन्धी करार की अपीलान्ट द्वारा पूरी पालना की गई है। विपक्षी रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 29.11.2019 का निर्णय कानून विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय में जो तथ्य दर्ज किये गये है कि कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस क्रमांक 532 दिनांक 09.07.2019 जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। अपीलान्ट को उक्त पत्र व तारीख पेशी 30.07.2019, 723 दिनांक 27.08.2019, 884 दिनांक 24.09.2019, 999 दिनांक 18.10.2019 जारी किया जाना बताया है व अपीलार्थी की अनुपस्थिति का तथ्य दर्ज कर स्पष्टीकरण पेश नहीं करने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किये जाने का तथ्य दर्ज किया है जिसकी अपीलान्ट को कभी जानकारी नहीं। इस कारण उसे अ[illegible]टीकरण पेश करने का मौका नहीं मिला। महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार झुंझुनूं द्वारा माह फरव[illegible] ज[illegible]019 तक गेहूं उठाव की राशि 43,996 /— रूपये सहकारी संस्था झुंझुनूं महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार झुंझुनू में जमा करवाने बाबत नोटिस की भी अपीलान्ट को जानकारी नही रही है। अप[illegible] द्वारा उसक[illegible] अधिकारो के तहत कोई भी समन, तामील नही करवा[illegible]रूप से गलत है। इस[illegible] अपीलान्ट को उसके अधिकारो से वंचित होना पडा है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी प्रकरण संख्या 119 / 19 में दिये गये निर्णय दिनांक 29.11.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र 529 / 2019 को बहाल करने का आदेश प्रदान करे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य की दुकान चुडैला, तहसील मलसीसर का आवंटन कमेटी की अनुशंसा से राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था। राशन वितरण के लिए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 529/2019 जारी किया गया था जिसके द्वारा सरकार तथा राशन डीलर अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण करने का करार हुआ था। राशन सामग्री का आंवटन उठाने के लिए व वितरण करने के लिए तथा कारोबार स्थल पर रखने तथा आवंटन क्षेत्र में वितरण उपभोक्ताओ में करने सम्बन्धी करार की अपीलान्ट द्वारा पूरी पालना की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्णय में जो तथ्य दर्ज किये गये है कि कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस क्रमांक 532 दिनांक 09.07.2019 जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। अपीलान्ट को उक्त पत्र व तारीख पेशी 30.07.2019, 723 दिनांक 27.08.2019, 884 दिनांक 24.09.2019, 999 दिनांक 18.10.2019 जारी किया जाना बताया है व अपीलार्थी की अनुपस्थिति का तथ्य दर्ज कर स्पष्टीकरण पेश नहीं करने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किये जाने का तथ्य दर्ज किया है जिसकी अपीलान्ट को कभी जानकारी नहीं। इस कारण उसे अपना स्पष्टीकरण पेश करने का मौका नहीं मिला। महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार झुंझुनूं द्वारा माह फरवरी से जून 2019 तक गेहुं उठाव की राशि 43,996/– रूपये सहकारी संस्था झुंझुनूं महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार झुंझुनूं में जमा करवाने बाबत नोटिस की भी अपीलान्ट को जानकारी नही रही है। अपीलान्ट को एक भी नोटिस रेस्पोडेन्ट द्वारा उसके कानूनी अधिकारो के तहत कोई भी समन, तामील नही करवाया गया है जो कानूनी रूप से गलत है। इस कारण अपीलान्ट को उसके अधिकारो से वंचित होना पडा है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी प्रकरण संख्या 119/19 में दिये गये निर्णय दिनांक 29.11.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र 529/2019 को बहाल करने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की यह अपील अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट ने नोटिस जारी करने के बावजूद गेहूं उठाव की राशि 43,996/– रूपये सहाकरी संस्था झुंझुनूं महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0 झुंझुनूं को जमा नही करवाये थे। उक्त राशि जमा नही करवाने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र नियमानुसार निर्णय दिनांक 29.11.2019 के अनुसार बाद सुनवाई निरस्त किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से साफ जाहिर है कि अपीलान्ट ने नोटिस के बावजूद गेहूं उठाव की राशि 43,996/– रूपये सहाकरी संस्था झुंझुनूं महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0 झुंझुनूं को जमा नही करवाई गई है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा समुचित रूप से सुना गया है। राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश दिनांक 1976 के बिन्दू सं0 22 के खण्ड संख्या 2 के अनुसार कोई अपील ग्रहण नही की जा सकेगी, यदि उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर न की गई हो, जिसके विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपील की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश के 2 साल से भी अधिक समय बाद पेश की गई है [illegible] नही है। अतः अपील अपीलान्ट यह अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाकर अदालत [illegible] आदेश दिनांक 29.11.2019 यथावत रखा जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत को [illegible] जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.[illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh
Kuri
Date: 2022.11.15 16:41:23 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं